

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/14-15/738

दिनांक: 20.01.2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय:- फरार व्यक्तियों एवं उदघोषित अपराधियों के नाम निर्वाचक नामावली में से विलोपित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आदेश क्रमांक: 3517 दिनांक: 20/09/2019 द्वारा फरार (absconded) व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में से विलोपित करने के संबंध में निर्देश दिये गये थे उक्त आदेश के अधिक्रमण में आयोग यह निर्देश देता है कि:-

1. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव कराया जाता है। जिसके लिए पंचायती राज अधिनियम, 1994/पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए मतदाता सूची तैयार की जाती है। प्रारूप मतदाता सूची/अन्तिम मतदाता सूची में ऐसे व्यक्तियों के नाम भी सम्मिलित हो सकते हैं जिनके विरुद्ध अजमानतीय वारण्ट (Non-bailable warrant) जारी किये गये हों और लम्बी अवधि तक उसका निष्पादन नहीं हो पाया हो।
2. पंचायती राज अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत यह आवश्यक उपबंध है कि निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर करने के लिए उस संस्था के वार्ड या निर्वाचक क्षेत्र का साधारणतया निवासी होना चाहिए। पैरा 1 में वर्णित मामलों में यह उपधारणा (Presumption) की जा सकती है कि वह मतदाता अब निर्वाचक नामावली में दिये गये पते पर सामान्यतः निवास नहीं कर रहा है। और उस स्थान का सामान्यतः निवासी नहीं रहने के कारण मतदाता के रूप में रखे जाने के योग्य नहीं रह गया है।
3. पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20(1)(D)(परिशिष्ट-क) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का इस स्वप्रेरणा से या उसे किये गये आवेदन पर ऐसी जांच जो वह ठीक समझे, इस बात का समाधान हो जाये कि मतदाता सूची में कोई प्रविष्टि इस आधार पर हटा दी जानी चाहिए की संबंधित व्यक्ति मर गया है या वार्ड/निर्वाचक क्षेत्र का मामूली तौर पर निवासी नहीं रह गया है या सूची में रजिस्ट्रीकृत किये जाने के लिए अन्यथा हकदार नहीं है, इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये सामान्य या विशेष निर्देशों के अध्याधीन रहते हुए प्रविष्टि को संशोधित, अंतरित करेगा या उसे हटा देगा।

परन्तु इस आधार पर संबंधित वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी नहीं रह गया है या कि वह उस वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किये जाने का अन्यथा हकदार नहीं है, कार्रवाई के पूर्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी संबंधित व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

4. जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन/अंतिम प्रकाशन के साथ ही ऐसे व्यक्तियों की सूची जिला पुलिस प्रशासन से प्राप्त कर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को इस निर्देश के साथ उपलब्ध कराये कि इन व्यक्तियों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही कर उनके नाम मतदाता सूची में से विलोपित किये जाएं।
5. इस संबंध में पुलिस आयुक्त/जिला पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की जाती है कि ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनके विरुद्ध अजमानतीय वारंट जारी किये गये हैं और 6 माह से अधिक अवधि तक उनका निष्पादन नहीं हो पाया, पूर्ण विवरण सहित जिला निर्वाचन अधिकारी को उनके द्वारा अपेक्षा किये जाने पर 3 दिन के अन्दर उपलब्ध करवाई जाये।
6. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जिला निर्वाचन अधिकारी /पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक से पैरा 5 में वर्णित व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर यह उपधारणा करते हुए कि ऐसे व्यक्ति उनके वार्ड/निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दिये गये पते पर सामान्यतः निवास नहीं कर रहे हैं, स्वप्रेरणा से उनके नाम मतदाता सूची में से नियमों में दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विलोपित करने की कार्यवाही करें।

संलग्न:- परिशिष्ट - क

भवदीय
20/11/26
(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव
दिनांक: 20-01-2026

क्रमांक: एफ. 7(1)(3)/पंचा/रानिआ/14-15/739-744
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर एवं जोधपुर/समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राजस्थान।
5. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
6. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।

20-01-2026
(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव

परिशिष्ट-क
नाम हटाने के लिए राजस्थान पंचायती राज(निर्वाचन)नियम 1994 के नियम
20(1)(D) के अधीन नोटिस

प्रेषक : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर (.....)

पद एवं कार्यालय का पूर्ण पता

जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत निर्वाचन क्षेत्र

प्रेषित:

.....
.....
.....।

नोटिस

महोदय/महोदया,

यतः अभिलेख के अनुसार, राजस्थान राज्य के जिला
परिषद/पंचायत समिति/पंचायत निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या
...के क्रम सं.पर आपका नाम एक निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है : और

5. यतः अद्योहस्ताक्षरकर्ता को यह रिपोर्ट मिली है कि आप पिछले छः माह से अधिक समय से निर्वाचक नामावली में दिये गये अपने मामूली तौर पर निवास करने के स्थान से अनुपस्थित पाये गये हैं। इसलिए यह उपधारणा की जाती है कि आपने निर्वाचन क्षेत्र में ऊपर उल्लिखित पते पर मामूली तौर पर निवास करना बंद कर दिया है।
6. आपको सूचित किया जाता है कि निर्वाचन नामावली से आपका नाम राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20(1)(D) के अधीन हटाने का प्रस्ताव अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस आधार पर किया जाता है कि आपने निर्वाचन क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करना बंद कर दिया है। यदि आपके संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध आपको कुछ कहना है तो आप अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांककोबजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष वैयक्तिक रूप से उपस्थित हों।
7. यह और सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त तारीख और समय पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहने की दशा में यह उपधारणा की जायेगी कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है और आपका मामला, आपको और सूचित किये बिना, उक्त आदेश 20(1)(D) के अधीन विनिश्चित कर दिया जायेगा।

स्थान:

दिनांक :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर (.....)

पद एवं कार्यालय का पूर्ण पता

जिला परिषद/पंचायत समिति/पंचायत निर्वाचन क्षेत्र